

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-५/निदे०-(प्रवे० छात्र०)-०१-०९/२०२१-२८३

राज्य स्कीम

प्रेषक,

संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-१२/०१/२०२६

विषय: वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में राज्य स्कीम के बजट प्रावधान के अन्तर्गत संकल्प संख्या-२४१६ दिनांक-१८.०८.२०२१ के आलोक में मुख्यमंत्री अनु० जाति एवं अनु० जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत बिहार राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा ₹२.५० लाख से ऊपर ₹३.०० लाख तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अनु० जाति छात्रवृत्ति मद में ₹१०५.०० लाख (एक करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र व्यय करने की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

२- वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२५-२६ के राज्य स्कीम मांग सं०-४४ आय-व्यय शीर्ष २२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण लघु शीर्ष-२७७-शिक्षा-उपशीर्ष ०१०७-शिक्षा-विषय शीर्ष-०१०७.३४.०१-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्र कोड-४४.२२२५०१२७७०१०७ के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

३- इस स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। संकल्प संख्या-३०९८ दिनांक-२०.१२.२०१७ के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

४- छात्रवृत्ति की राशि, बिहार कोषागार संहिता-२०११ के BTC-४३ पर निकासी कर DBT के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अन्तरण की जायेगी। सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से १८ माह के अन्दर महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है। शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में समय-सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

५-प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत राशि का व्यय विभागीय संकल्प संख्या-२४१६ दिनांक-१८.०८.२०२१ के आलोक में तथा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शिका में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला स्तरीय छात्रवृत्ति चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में DBT के माध्यम से छात्रवृत्ति भुगतान किया जाएगा।

६- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय, वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक २५६१ दिनांक-१७-४-९८ तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में सन्निहित निर्देशों के आलोक में करेंगे।

७-स्वीकृत की जा रही राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२५-२६ में उपलब्ध योजना उदव्यय एवं बजट के अन्तर्गत है।

८-इस राशि की स्वीकृति पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०-५/निदे०-(प्रवे० छात्र०)-०१-०९/२०२१ के पृ०- /टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

०२.०१.२६
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्रवे0 छात्र0)-01-09/2021- 283

पटना, दिनांक-12/01/2026

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


62-01-26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्रवे0 छात्र0)-01-09/2021- 283

पटना, दिनांक-12/01/2026

प्रतिलिपि:-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


07-01-26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्रवे0 छात्र0)-01-09/2021- 283

पटना, दिनांक-12/01/2026

प्रतिलिपि:-निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/प्रशाखा पदा0-5(निदे0)/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


12-01-26
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक- 5/निदे0-(प्रवे0 छात्र0)-01-09/2021- 283

पटना, दिनांक-12/01/2026

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


09-01-26
सरकार के सचिव।

 